न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमन्द

(पीठासीन अधिकारी – शक्तिसिंह भाटी, आर0ए0एस0)

संख्या :– 37/2017 (वाद)
दिनांक :– 04/05/2017
दिनांक :– 23/01/2018

अनवान

1– चुन्नीबाई पत्नि नारायण लौहार निवासी फुंकिया तह0 – रेलमगरा

वादीया

बनाम

1– महेश कुमार पिता चुन्नीलाल भाट निवासी फुंकिया तह0 – रेलमगरा

प्रतिवादी

कार्यवाही अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

: : निर्णय : :

वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के त किया कि राजस्व ग्राम फुंकिया की सीमा में वादीया एवं प्रतिवादी की खातेदारी आधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 459, 465, 468 कुल किता – 03 कुल रकबा 07–18 बीघा स्थित है। उपरोक्त कृषि जियात में वादीया ने प्रतिवादी से दिनांक 07.04.2016 को जरिये विक्रय पत्र से अपना 4/15वां हिस्सा किया, एवं उक्त कृषि भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 571 से वादीया के नाम पर राजस्व रेकार्ड में 15 हिस्सा दर्ज हुआ है, तब से वादीया उक्त कृषि भूमि में खातेदार होकर उक्त भूमि की स्वामित्व धिपत्यधारी हो गयी है। प्रतिवादी ने वादीया को जमीन जो विक्रय की है, जिसके पडौस आराजी संख्या के पूर्व में उदयराम पिता नारायणलाल लौहार की जमीन, पश्चिम में नारायणलाल मेघवाल की जमीन, र में आम रास्ता, दक्षिण में इसी आराजी की जमीन तथा आराजी संख्या 459, 465 के पूर्व विक्रेता की ोन, पश्चिम में कालुराम पिता भेरा अहिर की जमीन, उत्तर में मांगीलाल अहिर व नारायणलाल लौहार, ा सालवी व नारायण मेघवाल की जमीन तथा दक्षिण में विक्रेता की शेष जमीन स्थित है। प्रतिवादी ने ना 4/15 वां हिस्सा उक्त विशिष्ट पडौसों को विक्रय कर वादीया को कब्जा सिपूर्द किया है, तब से ही ास्व जमाबन्दी में वादीया का नाम बतौर खातेदार, काश्तकार के रूप में दर्ज होकर वादीया उक्त पडौसों ी कृषि भूमि का उपयोग उपभोग कर रही है। प्रतिवादी द्वारा वादीया को उक्त भूमि विक्रय करने के प्रतिवादी के मन में बद्यान्ति उत्पन्न हो गयी है, इसलिये प्रतिवादी, वादीया को उक्त पडौसों वाली ष भूमि का उपयोग उपभोग में व्यवधान पैदा कर रहा है, वादीया द्वारा अपनी क्रय शुदा भूमि के चारों र फसल की सुरक्षा हेतु पत्थर की बाउण्ड्रीवाल बनाना चाह रही है, जिस पर भी प्रतिवादी बेवजह वधान पैदा कर रहा है, और वादीया को पत्थर की दीवार नही चुनने की धमकी दे रहा है। जबकि तिवादी को ऐसा करने का कानूनन कोई हक अधिकार प्राप्त नही है। उक्त विक्रयशुदा आराजी के सम्बन्ध वादीया के उपयोग उपभोग एवं उक्त भूमि की फसल की सुरक्षा हेतु वादीया द्वारा बनाई जा रही दीवार प्रतिवादी व्यवधान पैदा कर रहा है, जबकि उसे ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है। वादीया एक ीण परिवेश की अनपढ महिला है, जिसे प्रतिवादी बेवजह परेशान कर रहा है। इसलिये प्रतिवादी के रूद्व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु यह वाद आप न्यायालय में प्रस्तत किया जा रहा है। प्रतिवादी के विरूद्व वादपत्र कलम संख्या 01 व 02 में वर्णित कृषि भूमि के पडौस के संबंध में प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की ाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक है कि वादीया की खरीदशुदा कृषि आराजी जो

क कलक्टर
ड अधिकारी)
लमगरा

ादपत्र की कलम संख्या 01 व 02 में वर्णिता विशिष्ट भू भाग में बाधा, दखलन्दाजी कारित नही करें। न ही ादीया द्वारा कराई जा रही अपनी फसल की सुरक्षा हेतु कराई जा रही दीवार में किसी प्रकार की बाधा, खलन्दाजी कारित करें। इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय हित में आवश्यक है न्यथा वादीया के हक अधिकारों पर विपरित प्रभाव पडेगा। प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया ाना अत्यन्त आवश्यक है। वाद हेतुक दिनांक 27.04.2017 को उत्पन्न हुआ, जब वादीया की कृषि भूमि में तिवादी ने वादीया द्वार बनाई जा रही दीवार में प्रतिवादी द्वारा दीवार नही बनाने के सम्बन्ध में धमकी दी, और वादीया को भद्दी भद्दी गालियॉ दी, व लडाई झगडा करने हेतु आमदा हुआ, जिससे वाद हेतुक उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना है कि वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा वादीया के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्व जारी की जावें कि तिवादी वादपत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित कृषि आराजी एवं कलम संख्या 02 में वर्णित पडौसों में स्थित कृषि भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा दखलन्दाजी कारित नही करें, न ही वादीया द्वारा अपनी फसलों की सुरक्षा हेतु बनाई जा रही दीवार में बाधा दखलन्दाजी कारित करें, ऐसा कार्य न तो स्वयं करें, न ही अपने किसी नौकर, चाकर, एजेन्ट, रिश्तेदार आदि से करावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किये गये।

वादीया ने अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्ल्यू–01 चुन्नीबाई का शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी की नकल प्रदर्श–01, विक्रय पत्र की असल प्रति प्रदर्श–02 है विक्रय पत्र की फोटो प्रति प्रदर्श–02ए के प्रस्तुत किये गये।

वादीया अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया तो जाहिर आया कि वादग्रस्त भूमि वादीया एवं प्रतिवादी की संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है जिसका अभी तक विधिवत विभाजन नही हुआ है। विधि में भी यह निहित है कि जब तक संयुक्त खातेदारी भूमि का विधिवत विभाजन नही हो जाता तब सहखातेदारी के समस्त भू भाग पर सभी सहखातेदारान का समान हक अधिकार होता है और संयुक्त स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि में सहखातेदार के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान किया जाना न्याय संगत प्रतीत नही होता है। ऐसी स्थिति में वादीया अपने वादपत्र को सिद्व करने में असफल रही है।

अतः वादीया द्वारा अपने वादपत्र को सिद्व करने में असफल रहने से वादीया का वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता है। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23/01/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा